न्यायालय सं0–3

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थितः माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्यायिक)

निर्देश याचिका सं0–985/2009

नन्द लाल, पुत्र स्व0 Jittu Ram, निवासी–ग्राम–Chhati Deeh, पोस्ट–Kutir Chakkey, जिला–जौनपुर। **---याची**

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार व्दारा प्रमुख सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद रेंज फैजाबाद।
3– पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।

---विपक्षीगण

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य (न्या0)

याची व्दारा प्रस्तुत निर्देश याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत निम्न अनुतोष हेतु योजित की गयी हैः–

(i) to issue a suitable order or direction to the opp. parties quashing the impugned order dated 07.01.2008 and the appellate order dated 22.01.2009 as contained in Annexure nos. 1 &2 respectively.

(ii) to issue a suitable order or direction to the opp. parties to refund the amount of fine with due interest to the petitioner and declared the petitioner unaffected of the impugned punishment for all service benefits.

(iii) to issue any other order or direction, which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the circumstances of the case;
(iv) to allow the claim petition with heavy costs in favour of the petitioner.

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनॉंक 16–01–1984 को उप निरीक्षक, ना0पु0 के पद पर हुई थी। उसका कार्य एवं

आचरण सदैव उत्कृष्ट रहा और प्रश्नगत आदेश के अतिरिक्त उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल अभिलेख नहीं है। याची जब पी0एस0 कोतवाली टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर में तैनात था तब पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर व्दारा उसे 29–10–2007 को एक कारण बताओ नोटिस (संलग्नक सं0–3) निर्गत की गयी जो उसे दिनाँक 14–11–2007 को प्राप्त हुई। उक्त कारण बताओ नोटिस निम्नवत् हैः–

> "जब आप वर्ष 2006 में थाना कोतवाली अकबरपुर में कार्यरत थे तो आपको थाने पर पंजीकृत 12 एस0सी0आर0 की विवेचना सुपुर्द की गई थी। आप व्दारा इन विवेचनाओं में कोई कार्यवाही नहीं की गई और अकारण अपने पास लम्बित रखे रहे तथा स्थानान्तरण के पश्चात् थाना कोतवाली अकबरपुर कार्यालय में 09 एन0सी0आर0 की विवेचना दाखिल कर चले गये इस प्रकार आप व्दारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित की गयी है। अतः आप इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियिमावली 1991 के नियम 14(2) के प्रस्तर 4(1) ख (2) में निहित प्राविधानों के आधार पर 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थ दण्ड से दण्डित कर दिया जाये।"

उक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकारी, टाण्डा से प्रारम्भिक जाँच करायी गयी जिनके व्दारा जाँचोपरान्त दी गयी प्रारम्भिक जाँच आख्या की प्रति भी याची को कारण बताओ नोटिस के साथ उपलब्ध करायी गयी। याची व्दारा उक्त कारण बताओ नोटिस का विस्तृत स्पष्टीकरण दिनाँकित 15–12–2007 (संलग्नक–4) दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके व्दारा यह कथन किया गया कि वह पी0एस0 कोतवाली अकबरपुर में दिनाँक 03–02–2006 से 28–12–2006 तक लगभग दस माह तैनात रहा। इस मध्य उसके व्दारा कुल नौ माह बाहर की शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, यलो जोन ड्यूटी, अयोध्या मेला ड्यूटी, मेला गोविन्द साहब ड्यूटी, वी0आई0पी0 ड्यूटी आदि की गयीं। अग्रेतर यह भी कथन किया गया कि उसे कथित एफ0आई0 आर0 की जाँच नहीं दी गयी थी

बल्कि उक्त जाँच उप निरीक्षक श्री पारस नाथ सिंह यादव व उप निरीक्षक श्री योगेन्द्र विक्रम शाह को दी गयी थी जिनके व्दारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा वे स्थानान्तरण पर जाते समय उक्त विवेचनाओं को कार्यालय में जमा कर गये। याची का कथन है कि उसे उक्त विवेचना उसके स्थानान्तरण होने के पाँच दिवस पूर्व प्रदान की गयी जिन्हें प्राप्त करने के उपरान्त उसके व्दारा सी0ओ0 पेशी कार्यालय जाकर उक्त एन0सी0आर0 की विवेचना की जानकारी ली गयी तो यह ज्ञात हुआ कि पूर्व जाँच अधिकारियों व्दारा कोई पर्चा किता नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में उसके व्दारा एक रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके उपरान्त उसका स्थानान्तरण पी0एस0कोतवाली, टाण्डा हो गया तथा स्थानान्तरण पर जाते समय उसके व्दारा समस्त एन0सी0आर0 के कागजात थाना कार्यालय में जमा कर दिये। याची का कथन है कि उसके व्दारा दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण पर बिना विचार किये दण्डाधिकारी व्दारा आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 07–01–2008 उसके विरूद्ध पारित कर दिया गया। याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध अपील (संलग्नक सं0–5) विपक्षी सं0–2 के समक्ष प्रस्तुत की गयी परन्तु अपीलीय अधिकारी व्दारा भी अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर बिना कोई विचार किये आदेश दिनाँकित 22–01–2009 व्दारा उसकी अपील को निरस्त कर दिया गया।

3– याचिका के संबंध में विपक्षीगण को अवगत कराया गया। उनके व्दारा याचिका में किये गये कथनों के सम्बन्ध में लिखित विवेचन दिनाँक 06–10–2009 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि याची ने अपीलीय आदेश के विरूद्ध कोई रिवीजन प्रस्तुत नहीं किया और सीधे प्रश्नगत याचिका माननीय अधिकरण के समक्ष योजित कर दिया गया। अस्तु याची व्दारा सभी विभागीय उपचारों को पूर्ण न किये जाने के कारण प्रश्नगत याचिका पोषणीय नहीं है। अग्रेतर यह कथन किया गया कि जब याची वर्ष 2006 में थाना कोतवाली अकबरपुर में कार्यरत था तो उसको थाने पर पंजीकृत 12 एन0सी0आर0 की विवेचना सुपुर्द की गयी थीं। याची व्दारा इन विवेचनाओं

में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और अकारण अपने पास लम्बित रखा रहा तथा स्थानान्तरण के पश्चात् थाना कोतवाली अकबरपुर कार्यालय में 09 एन0सी0आर0 की विवेचना दाखिल कर चला गया। इस प्रकार याची व्दारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का प्रथम दृष्टया परिचायक पाये जाने पर प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच कार्यवाही श्री उदय भान सिंह क्षेत्राधिकारी टाण्डा, अम्बेडकरनगर से सम्पादित करायी गयी जिन्होने नियमानुसार जाँच सम्पादित कर अपनी जाँच आख्या दिनाँकित 25–09–2007 प्रस्तुत की गयी जिसमें याची को पूर्णतया दोषी पाया। तदोपरान्त जाँच अधिकारी व्दारा प्रस्तुत जाँच आख्या पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचार किया गया जिसके उपरान्त याची को बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 29–10–2007 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 के नियम 14(2) के अन्तर्गत नियम–4(1) ख (2) में उल्लिखित 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना प्रस्तावित करते हुए निर्गत की गयी तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। याची को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से विभागीय पत्रावली अवलोकन की अनुमति प्रदान की गयी। याची व्दारा कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिनाँकित 15–12–2007 प्रस्तुत किया गया। याची व्दारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में उठाये गये सभी बिन्दुओं एवं जाँच आख्या पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर सम्यक विचार किया गया, विचारोपरान्त याची को पूर्णतया दोषी पाये जाने पर याची के प्रति पूर्ण सहानुभूति पूर्वक दृष्टिकोण अपनाते हुए 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने संबंधी प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि है। उक्त दण्डदेश के विरूद्ध याची व्दारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे

पूर्णतया तथ्यहीन एवं बलहीन पाये जाने पर विस्तृत कारण अंकित करते हुए आदेश दिनॉंकित 22–01–2009 व्दारा निरस्त कर दिया गया। याची ने प्रश्नगत याचिका आधारहीन तथ्यों पर योजित की गयी है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4– विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित विवेचन के विरूद्ध याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दिनॉंक 16–01–2010 को दाखिल किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि याची व्दारा लिखित–विवेचन के कथनों का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– याचिका के निस्तारण के क्रम में मैंने याची के विव्दान अधिवक्ता श्री के0के0पाण्डेय तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी व्दारा प्रस्तुत तर्कों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

6– याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा मात्र यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुशासनिक /दण्डाधिकारी व्दारा यद्यपि, याची से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी और उसके व्दारा स्पष्टीकरण भी दिया गया परन्तु अनुशासनिक अधिकारी व्दारा उसके स्पष्टीकरण पर बिना अभिमत व्यक्त किये आलोच्य दण्डदेश दिनॉंकित 07–01–2008 पारित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अलोच्य दण्डादेश सकारण व मुखरित आदेश नहीं है।

7– प्रतिउत्तर में विव्दान अधिवक्ता व्दारा लिखित विवेचन में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

8– उभय पक्षों की ओर से उपस्थित विव्दान अधिवक्ताओं व्दारा प्रस्तुत तर्कों का उल्लेख करने के उपरान्त निराकरण के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अनुशासनिक अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनॉंकित 07–01–2008, संलग्नक सं0–1 का अवलोकन किया गया जो निम्नवत् हैः–

"उ0नि0ना0पु0 श्री नन्द लाल थाना कोतवाली टण्डा जब थाना कोतवाली अकबरपुर में नियुक्त थे तो थाने पर पंजीकृत 12 एन0सी0आर0 की विवेचना सुपुर्द की गई जिनमें कोई कार्यवाही न करने तथा अकारण अपने पास लम्बित रखने तथा स्थानान्तरण पर जाते समय 09 एन0सी0आर0 की विवेचना दाखिल कर चले जाने के आरोप में उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14(2) के प्रस्तर 4(1) ख (2) में निहित प्राविधानों के आधार पर 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने विषयक कारण बताओ नोटिस सं0 द-74/07 दिनाँक 29-10-2007 निर्गत की गई थी जिसे उ0नि0 ने दिनाँक 14-11-07 को प्राप्त किया तथा अपना लिखित स्पष्टीकरण दिनाँकित 15-12-2007 प्रस्तुत किया। उ0नि0 व्दारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों का भलीभाँति अवलोकन किया गया तो पाया गया कि उ0नि0 व्दारा अपने स्पष्टीकरण में अपना दोष अन्य पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। चार्ट लिस्ट व प्रा0 जाँच से यह स्पष्ट होता है कि वह एन0सी0आर0 आरोपी उ0नि0 को दी गयी थी जिनमें उन्होंने विवेचना कार्यवाही नहीं की तथा स्थानान्तरण पर जाते समय थाने पर दाखिल की। अतः दोष प्रमाणित है।"

9- उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि याची के विव्दान अधिवक्ता के तर्क को प्रथम दृष्टतया समर्थन प्राप्त है किन्तु अपीलीय आदेश दिनाँकित 22-01-2009, संलग्नक सं0-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस आदेश के प्रस्तर-3(1) में याची को निर्गत कारण बताओ संसूचना के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय अधिकारी व्दारा निम्न अभिमत व्यक्त किया गया है:-

"अभिलेखों के अनुसार श्री कन्हैया लाल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर, अम्बेडकरनगर की रिपोर्ट दिनाँकित 25-04-2007 के आधार पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर व्दारा क्षेत्राधिकारी टाण्डा को पत्र संख्याः ज-44/2007 दिनाँक 27-04-2007 व्दारा उपनिरीक्षक नी नन्दलाल को अपने पास 12 एन0सी0आर0 की विवेचनाएं लम्बित रखने तथा स्थानान्तरण पर प्रस्थान करते समय बिना कोई कार्यवाही किये वापस लौटा देने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जाँच का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री उदय भान सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी टाण्डा, अम्बेडकरनगर व्दारा जाँचोपरान्त दिनाँक 25-09-2007 को अपनी जाँच आख्या प्रेषित की गयी। प्रकरण की प्रारम्भिक जाँच से पाया गया कि आरोपी व्दारा कुल 09 एन0सी0आर0, एन0सी0आर0 नं0 4/06, 33/06, 30/06, 82/06, 203/06, 143/06, 150/06, 12/05

एवं 226/06 की विवेचनाएं बिना कोई कार्यवाही किये अकारण अपने पास लम्बित रखा गया तथा थाना कोतवाली अकबरपुर से स्थानान्तरण होने के उपरान्त थाना कोतवाली अकबरपुर कार्यालय में दाखिल किया गया। आरोपी का यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है, जिसके लिये उसे प्रारम्भिक जाँच से दोषी पाया गया। प्रारम्भिक जाँच से आरोपी के विरूद्ध एनसीआर की विवेचनाएं अकारण लम्बित रखने का आरोप प्रमाणित है। आरोपी का तर्क बलहीन होने के कारण अस्वीकार है।"

उपरोक्त आधार पर याची के विव्दान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि याची के विरूद्ध प्रश्नगत आदेश जिनमें अपीलीय आदेश भी सम्मिलित है में याची के व्दारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया गया। उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी व्दारा अपने आदेश में याची व्दारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तथ्यों का पूर्णतः उल्लेख किया गया है और अपने आदेश को पारित करने के संबंध में कारणों का क्रमबद्ध ढ्ंग से उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची के विरूद्ध पारित आदेश की याचिका में कोई बल नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निर्देश याचिका निरस्त की जाती है
उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0/–
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य (न्यायिक)

दि0: 26 सितम्बर, 2024
एच0के0आर0: पी0एस0